

कार्यालय – सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषदरामनगर (नैनीताल)

पत्रांक:—उ०वि०शि०प०/समन्वय-23/ **23-64** /2019-20 दिनांक: **04** जुलाई, 2019

—:: **विज्ञापित** ::—

सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र को अग्रसारित करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने की तिथियाँ निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र० सं०	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु०-200.00	रु०-600.00	रु०-350.00	रु०-700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु०- 10.00	रु०- 10.00	रु०- 10.00	रु०- 10.00
3	अग्रसारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु०- 10.00	—	रु०- 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु०-150.00	—	रु०-150.00
5	प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	—	रु०- 50.00	रु०- 50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु०-150.00	—	रु०-150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2019	14 अगस्त 2019	31 जुलाई 2019	14 अगस्त 2019
8	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	—	24 अगस्त 2019	—	24 अगस्त 2019
9	खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	14 अगस्त 2019	28 अगस्त 2019	14 अगस्त 2019	28 अगस्त 2019
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	17 अगस्त 2019	30 अगस्त 2019	17 अगस्त 2019	30 अगस्त 2019
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	20 अगस्त 2019	04 सितम्बर 2019	20 अगस्त 2019	04 सितम्बर 2019

(डॉ० नीती तिवारी)

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर(नैनीताल)।

कमशः पेज-2

पृ०सं०:-उ०वि०शि०प० /समन्वय-23/ 23-64 /2019-20 दिनांक:-उक्तवत ।
प्रतिलिपि-उपरोक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- निजी सचिव,माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
- 2- सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
- 3- अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 5- निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) एवं अपर माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 6- निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 7- निदेशक, (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 8- मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल (नैनीताल/पौड़ी) ।
- 9- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद में उक्त विज्ञप्ति को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करवायें, तथा सभी शिक्षा संस्थाओं को इस आशय का निर्देश भी दें, कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क राजकोष में लेखा शीर्षक 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं सस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क, के अन्तर्गत जमा किया जायेगा, तथा निर्धारित तिथि तक अग्रसारण अधिकारियों को परीक्षार्थी आवेदन पत्र जमा करायेगें ।
- 10- निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद/अल्मोड़ा केन्द्र को प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित ।
- 11- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 12- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 13- समाचार पत्रों के सम्मानित सम्पादको को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि यह विज्ञप्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से सम्बन्धित व्यापक लोक महत्व की सूचना है । अतः अपने दैनिक लोक प्रिय समाचार पत्र में इस सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण में प्रमुखता से जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
- 14- सूचना सम्प्रेषण अनुभाग को इस आशय से प्रेषित की परिषद् की वेबसाइट पर अपलाड करे ।

(डॉ० नीता तिवारी)

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगुर(नैनीताल) ।